न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
407/2023	22.12.2023	30.01.2024

डनवान

1. श्रीमती सरोज पत्नी श्री पवन शर्मा जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी 23 पूर्व विस्तार सुभाष नगर, भीलवाड़ा

प्रार्थिया

बनाम

1. गंगा पत्नी विकास शर्मा उम्र वयस्क निवासी जी–151, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा–राज.
2. चन्द्रकला पत्नी श्री प्रदीप कुमार तिवाडी, उम्र वयस्क निवासी ई–7/482 संगम विहार नई दिल्ली, नजदीक वीर सिंह कोठी एयर फोर्स स्टेशन तुगलकाबाद दक्षिण दिल्ली हाल निवासी डी–120, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा
3. गणेश पुत्र नाराण जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. ओमप्रकाश पुत्र हीरा जाति कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
5. भैरूलाल पुत्र हीरा जाति कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
6. शंकरलाल पुत्र गंगाराम माता बदाम देवी कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
7. सुगनी पत्नी स्व. हीरा जाति कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
8. सत्यनारायण पुत्र गंगाराम माता बदाम देवी कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
9. किशनलाल पुत्र हीरा जाति कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
10. गणपत पुत्र लादू कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
11. देऊ देवी पुत्री लादू कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
12. नन्द पत्नी लादू कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
13. प्रेम देवी पत्नी गंगाराम माता बदाम देवी कलाल, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
14. बाबूलाल पुत्र हीरा कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
15. भागुती पत्नी लादू कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
16. माया पुत्री लादू कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
17. नाराण पुत्र भूरा जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
18. देवकरण पुत्र रामचन्द्र जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया,
19. नन्दा पुत्र भूरा जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
20. कंकु पत्नी फूलचन्द नाई उम्र वयस्क निवासी आरजिया
21. देबीलाल पुत्र गिरधारी नाई उम्र वयस्क निवासी आरजिया
22. बाली पुत्री धना कलाल उम्र वयस्क निवासी आरजिया
23. कैलाश पुत्र रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
24. सुगनी पुत्री रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

25. सत्यपाल पुत्र जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
26. कृष्णा पुत्री जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
27. जस्सु पत्नी रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
28. नोसर देवी पत्नी जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
29. प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
30. मंजु पुत्री जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
31. राजू पुत्र जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
32. राधेश्याम पुत्र रामेश्वर जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
33. विनोद पुत्र जगदीश जाट, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
34. कैलाश पुत्र चन्द्रा धोबी, उम्र वयस्क निवासी आरजिया
35. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी हसन खान
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: <u>निर्णय</u> :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 329 की अभिलिखित आराजियात 1007/3, 993 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

30

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी विपक्षी संख्या 6, 18, 19, 27 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील के आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीयों के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 329 की अभिलिखित आराजियात 1007/3, 993 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा